SAVE SAL TREE

झारखण्ड सरकार

SAVE JHARKHAND

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पीन कोड–815316

email-dfogir@ymail.com, Phone No.-06532-222127

पत्रांक– 2383 दिनांक– 13-08-2019

सेवा,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
गिरिडीह।

विषय – गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजा–खपयबेड़ा, पीरटांड़ में 33/11 के0वी0 सब–स्टेशन निमार्ण हेतु प्रस्ताव संख्या– FP/JH/VELC/34134/2018 कुल–0.5139 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग – आपका कार्यालय ज्ञापांक–52 दिनांक–02.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय में सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची द्वारा विषयक प्रस्ताव में की गई आपत्ति का निराकरण निम्नवत है :–

1.	प्रस्तावित/ परियोजना स्थल पर 27 वृक्ष प्रतिवेदित हैं, यह स्पष्ट नहीं कि इसमें से कितने वृक्षों का पातन किया जाना है। वर्तमान 27 वृक्ष के आधार पर गणना में प्रस्तावित स्थल पर प्रति हें0 50 वृक्ष से अधिक होता है। इस स्थिति में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर–वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त किया जाना आवश्यक है, जो उपलब्ध नहीं कराया गया है।	परियोजना स्थल पर 27 वृक्ष अवस्थित है। परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक–1788 दि0–09.08.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त 27 वृक्षों में 20 वृक्षों का ही पातन किया जायगा। (छाया प्रति संलग्न)
2.	उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित स्थल के KML File को Google earth पर देखने से परियोजना स्थल के समीप से गुजरने वाले सड़क के दोनो ओर वनाच्छादित क्षेत्र है। सड़क के दूसरी तरफ एक नवनिर्मित भवन परिसर दिख रहा है। प्रथम दृष्ट्या (वर्ष 2013–17 के बीच) निर्मित इस परिसर को लगातार विस्तारित किया जा रहा हैं अतः सुनिश्चित हो लें कि यह भवन परिसर वन/जंगल झाड़ी वन भूमि पर तो नहीं है? अगर ऐसा है तो क्या इसके लिए पूर्व स्वीकृति भारत सरकार से ली गई है।	मौजा–खपईबेड़ा, थाना न0–99, थाना–पीरटांड़ के प्लौट न0–58, रकबा–0.6462 हे0 वनभूमि मधुबन–पीरटांड़ ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत WTP निर्माण हेतु वनाधिकार अधिनियम की धारा–3(2) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक–247 दिनांक–02.02.2011 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वन भूमि पर उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विस्तार नहीं हो रहा है।
3.	प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपायुक्त गिरिडीह का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	इस कार्यालय का पत्रांक–2295 दि0–03.08.2019 द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपायुक्त गिरिडीह का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण से मांग की गई है, जो अबतक अप्राप्त है।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

13/8/19

E:\FCA-2\Letter 2019\GF Grd. Giridih khapaibera Nirakaran.doc

10/8/19

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गिरिडीह (द0)

1778

पत्रांक 1788 वि० का० अ० / गिरिडीह (द०) दिनाकं 9/8/19

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल

विषयः– गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजा–खपयबेड़ा, पीरटांड में 33/11 के0 भी0 सब–स्टेशन निर्माण हेतू प्रस्ताव स0 FP/JH/VELC/34134/2018 कुल 0.5139 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 2295 दिनांक 03.08.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि प्रस्तावित 33/11 के0 भी0 विधुत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण स्थल पर 27 वृक्ष प्रतिवेदित है जिसमें से 20 वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक है जिसकी सूची संलग्न कर भवदीय के आवश्यक कार्रवाई हेतू भेजी जा रही है।

अनुः– तथैव।

विश्वास भाजन,

अजय कुमार (सिंह)
9/8/19

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता,
गिरिडीह (द0)

List of details of trees comes under area of newly proposed 33/11 KV PSS at Khaipebada,Madhuban,Giridih

S.No	*Name of the tree*	*Haight of the Tree (Approx.) In Mtrs.*	*Dia in Mtrs*	*Remarks*
1	Sakhua	15	1.2	
2	Sakhua	14	0.9	
3	Sakhua	12	0.75	
4	Sakhua	12	0.9	
5	Sersa	9	0.75	
6	Mahua	10	0.9	
7	Sakhua	12	0.75	
8	Sakhua	9	0.9	
9	Sakhua	11	0.6	
10	Mahua	10	0.9	
11	Sakhua	10	0.9	
12	Sakhua	8	0.6	
13	Sakhua	9	0.45	
14	Pras	7	0.9	
15	Sakhua	10	0.6	
16	Mahua	12	0.75	
17	Mahua	12	0.45	
18	Mahua	14	0.6	
19	Cimela	10	0.45	
20	Chilimiliya	6	0.45	

09/08/19
SGIPL

9/8/19

09-08-19.
Assistant Electrical Engin
Electric Supply Sub-Divis
Dumri (Giridih)

C/S
9/8/19
Electrical Executive Engineer
Electric Supply Division
GIRIDIH (SOUTH)